कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
संख्या 277 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि–अनु0 / 2016–17
देहरादून :: दिनांक :: 18 अप्रैल, 2016

आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या 126 / 2016 / 03(120) / XXVII(8) / 2016 दिनांक 03 मार्च, 2016 के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान के लिये या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुये राज्य में किसी स्थान के लिये, माल के संचलन के सम्बन्ध में, निम्न शर्तों के अधीन, परिवहनकर्ता द्वारा लौरी चालान तैयार किये जाने हेतु निम्नवत् आदेश करते हैं;

शर्तें

1. लौरी चालान तैयार करने की व्यवस्था के प्रथम चरण में दिनांक 20.04.2016 से आयरन–स्टील तथा खाद्य तेल के सम्बन्ध में धारा 43क के उपबन्धों का अनुपालन करते हुये लौरी चालान तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।
2. परिवहनकर्ता द्वारा माल के निम्न संचलन तथा मात्रा के लिये लौरी चालान तैयार किया जाना आवश्यक होगा–

   (क) राज्य के भीतर एक ही जिले के अन्तर्गत अथवा एक जिले से दूसरे जिले के लिए बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित माल का संचलन करने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा 05 (पांच) टन से अधिक मात्रा में उक्त माल का परिवहन करने पर लौरी चालान तैयार करना आवश्यक होगा;

   (ख) राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुये राज्य में किसी स्थान के लिये बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित माल का संचलन करने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी मात्रा में उक्त माल का परिवहन करने पर लौरी चालान तैयार करना आवश्यक होगा;

   (ग) राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित माल का संचलन करने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी मात्रा में उक्त माल का परिवहन करने पर लौरी चालान तैयार करना आवश्यक होगा।
3. मुख्यालय से जारी परिपत्र संख्या विधि–29 / (04–05) परिपत्र / 2005–2006 / 1074 / विधि–अनुभाग, दिनांक 08 जुलाई, 2005 एवं परिपत्र संख्या 1595 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणिज्य कर / विधि–अनुभाग / देहरादून / 2005–06 दिनांक 11 अगस्त, 2005 द्वारा ऐसे माल के सम्बन्ध में, जो उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड के क्षेत्रों के लिये अन्य प्रदेशों

से होकर परिवहन किया जाता है, ऐसे माल का परिवहन करने पर सम्बन्धित बिल/कैश मेमों/चालान पर ओ0सी0 स्टैम्प प्रयुक्त करने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें दिनांक 01.03.2013 को जाँच चौकियों की समाप्ति के उपरान्त परिपत्र संख्या 4965/आयु0क0 उत्तरा0/वा0क0/प्र0अनु0/2012–13 दिनांक 26.02.2013 द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आंशिक संशोधन किया गया है।

उक्त जारी परिपत्रों के आलोक में एवं परिवहनकर्ता द्वारा आयरन–स्टील तथा खाद्य तेल के सम्बन्ध में लौरी चालान तैयार किये जाने के सन्दर्भ में यह आदेश दिये जाते हैं कि यदि बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु (ख) में विनिर्दिष्ट संचलन तथा मात्रा के लिए परिवहनकर्ता द्वारा लौरी चालान तैयार किया जाता है तो आयरन–स्टील तथा खाद्य तेल के ऐसे संचलन हेतु ब्यौहारी द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प प्रयुक्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा;

4. इसके अतिरिक्त यदि आयरन–स्टील तथा खाद्य तेल के अन्यथा अन्य माल के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु (ख) में विनिर्दिष्ट संचलन तथा मात्रा के लिए परिवहनकर्ता द्वारा वैकल्पिक आधार पर लौरी चालान तैयार किया जाता है तो ऐसे अन्य माल के संचलन हेतु भी ब्यौहारी द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प प्रयुक्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
5. उपरोक्त आदेशित व्यवस्था सहित उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 43क एवं नियम 55 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 43क में प्राविधानित "लौरी चालान" का प्रारूप फार्म–XVIII(f) (संलग्न) एतद्द्वारा निर्धारित किया जाता है। "लौरी चालान" को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर, उसमें विहित व्यवस्था के अनुसार, उसमें निर्धारित सूचनाओं सहित ऑनलाइन दाखिल किया जायेगा। "लौरी चालान" में वांछित सूचनाओं के अतिरिक्त वे अन्य सूचनाऐं भी दी जायेंगी जो उक्त प्रयोजन हेतु वेबसाइट पर वांछित हों। कम्प्यूटर से "लौरी चालान" जेनरेट/प्रिंट करने की व्यवस्था ऐसी होगी जैसा कि वेबसाइट पर निर्धारित हो।

संलग्नक :– लौरी चालान का प्रारूप फार्म–XVIII(f)

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।